उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928 | GSTIN: 09AAACU5088M4ZM

कारपोरेट टैक्स एवं जी0एस0टी0 सेल Corporate Tax & GST Cell

कक्ष संख्या–320,तृतीय तल, शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001, ई–मेल - dgmtaxuppcl@gmail.com
Room No.– 320 IIIrd Floor, Shakti Bhawan, 14-Ashok Marg, Lucknow-226001, RAX – 8320,

पत्रांकः /का0टैक्स एवं जी0एस0टी0 सेल/2021 दिनांक 24 / 03 / 2021

विषय :– दिशा–निर्देश सं0 20/का0टैक्स एवं जी0एस0टी0/2020 दिनांक 03.07.2020 की अप्रयोज्यता के सम्बन्ध में।

कृपया इस कार्यालय द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश सं0 20/का0टैक्स एवं जी0एस0टी0/2020 दिनांक 03.07.2020 एवं 20(A)/का0टैक्स एवं जी0एस0टी0/2020 दिनांक 13.08.2020 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 महोदय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 743–कार्य/चौदह–पाकालि/2020–24–के/2020/लेखा स्कन्ध दिनांक 10.06.2020 के अनुसार उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के व्ययों को अन्य विद्युत निगमों में भारण करने पर जी0एस0टी0 भारित करने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त दिशा–निर्देश सं0 20/का0टैक्स एवं जी0एस0टी0/2020 दिनांक 03.07.2020 एवं 20(A)/का0टैक्स एवं जी0एस0टी0/2020 दिनांक 13.08.2020 को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाता है। अतः वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु व्यय भारण पर जी0एस0टी0 देय नही होगा।

(ए0 के0 अवस्थी)
मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा)

पत्रांकः 166 /का0टैक्स एवं जी0एस0टी0 सेल/2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
2. निदेशक (वाणिज्य)/कारपोरेट प्लानिंग/वितरण/वित्त/का0प्र0 एवं प्रशा0 उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
3. निदेशक (वित्त), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा, उपमहाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), केस्को कानपुर।
4. अधिशासी निदेशक (वित्त एवं लेखा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
5. उप महाप्रबन्धक (सामग्री प्रबन्ध), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, महानगर लखनऊ को इस अनुरोध के साथ के अपने अधीनस्थ इकाईयों को तदनुसार सूचित करने की कृपा करें।
6. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन/कारपोरेट लेखा) उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
7. उप निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ।
8. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
9. अनुसचिव (स0 प्र0 लेखा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान)/केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ/पी0एम0यू0/वेतन एवं लेखा, उ0प्र0 पा0 का0 लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, रूम नं0 409, चतुर्थ तल शक्ति भवन को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(ए0 के0 अवस्थी)
मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928 | GSTN: 09AAACU5088M4ZM

कारपोरेट टैक्स एवं जी0एस0टी0 सेल Corporate Tax & GST Cell

कक्ष संख्या–320,तृतीय तल, शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001, ई–मेल - dgmtaxuppcl@gmail.com

Room No.– 320 IIIrd Floor, Shakti Bhawan, 14-Ashok Marg, Lucknow-226001, RAX – 8320,

पत्रांक 20 / का0टैक्स एवं जी0एस0टी0 / 2020 — दिनांक 03 / 07 / 2020

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी
उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

कृपया प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 743–कार्य/चौदह–पाकालि/2020–24–के/2020/लेखा स्कन्ध दिनांक 10.06.2020 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के व्ययों को सहायक विद्युत वितरण कम्पनियों एवं अन्य कम्पनियों पर भारित एवं अन्तरण किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था निर्दिष्ट की गयी है।

उपरोक्त के संबन्ध में अवगत कराना है कि व्ययों के भारण पर जी0एस0टी0 की देयता आयेगी एवं तद्नुसार व्ययों के वर्गीकरण के अनुसार कार्यवाही किये जाने व इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने हेतु निम्नांकित तथ्य/प्रक्रिया का पालन किया जाना होगा:-

1. व्ययों के भारण हेतु कर मुक्त/कर योग्य व्ययों के वर्गीकरण की सूची संलग्न है।

2. इकाई द्वारा व्ययों के आवंटन/भारण करते समय कर मुक्त/कर योग्य व्ययों को पृथक करना होगा। तदोपरान्त कर योग्य व्ययों के भारण हेतु इकाई द्वारा टैक्स इनवाईस एवं कर–मुक्त व्ययों के भारण हेतु बिल ऑफ सप्लाई निर्गत किया जाएगा। टैक्स इनवाईस एवं बिल ऑफ सप्लाई से सम्बन्धित नियम मुख्यालय स्थित जी0एस0टी0 सेल द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निर्देश सं0 01/उ0म0प्र0 (टैक्स)/जी0एस0टी0सेल/2017–18 दिनांक 10.07.2017 के माध्यम से सूचित किये जा चुके है। इसके अतिरिक्त टैक्स इनवाईस/बिल ऑफ सप्लाई बनाने हेतु Excel Utilities भी सभी इकाईयों को मुख्यालय स्थित जी0एस0टी0 सेल द्वारा प्रदान की जा चुकी है।

कर योग्य व्ययों के भुगतान पर उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा भुगतान किया गया जी0एस0टी0 निगम की इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के रूप में उपलब्ध होगा जिसका समायोजन भारण करने पर देय जी0एस0टी0 के सापेक्ष किया जा सकेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट से सम्बन्धित नियम निम्नलिखित अनुसार है –

i. इनपुट टैक्स क्रेडिट सिर्फ उन्ही व्ययों का उपलब्ध होगा जिनका भारण अन्य निगमों में किया जायेगा।

ii. इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने से पहले इकाईयां मुख्यालय स्थित जी0एस0टी0 सेल के माध्यम से सुनिश्चित करें कि कथित व्यय निगम के GSTR-2A में दिखाई दे रहा है या नहीं। कोई भी व्यय जिसकी सूचना विक्रेता/सेवाप्रदाता द्वारा अपने जी0एस0टी0 रिटर्न में दी गयी हो, वहीं निगम के GSTR-2A में दिखाई देगा।

iii. किसी भी माल अथवा सेवाओं पर इनपुट टैक्स केडिट (ITC) बीजक के आधार पर उपलब्ध होता है, अतः जिस बीजक का इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) लिया गया हो उसको अलग से संभाल कर रखा जाये एवं उसकी सूचना जल्द से जल्द परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय के माध्यम से मुख्यालय स्थित जी0एस0टी0 सेल को GSTR-2 प्रारूप में उपलब्ध करायी जाये। इसके अतिरिक्त ज्ञात हो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई0टी0सी0) लेने की अंतिम तिथि बीजक तिथि के वित्तीय वर्ष के बाद वाले वित्तीय वर्ष की 30 सितम्बर होती है। उदाहरण के लिये अगर बीजक तिथि 01.04.2019 से 31.03.2020 है, तो बीजक वित्तीय वर्ष 2019 20 से संबधित है अतः इस बीजक का इनपुट टैक्स केडिट 30.09.2020 तक ही लिया जा सकता है।

iv. इकाईयां ये भी सुनिश्चित करें कि जिस टैक्स इनवाईस का इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया गया हो उसका भुगतान इनवाईस दिनांक से 180 दिन के भीतर कर दिया जाये, 180 दिन के भीतर भुगतान न होने की दशा में इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्याज सहित रिवर्स करना होगा। भुगतान उपरान्त इनपुट टैक्स क्रेडिट वापस क्लेम किया जा सकता है।

v. उपरोक्त के अतिरिक्त ऐसे कर योग्य व्यय, जिनमें उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा जी0एस0टी0 का भुगतान नही किया गया है (जैसे अपंजीकृत अथवा कम्पोजिट डीलर से क्रय) अथवा ऐसे कर योग्य व्यय जिनका भुगतान उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा किया गया किन्तु बीजक उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को सम्बोधित नही था (जैसे कर्मचारी ट्रस्ट के व्यय), पर इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध नही होगा, अतः इनके भारण पर जी0एस0टी0 की अतिरिक्त देयता आयेगी।

vi. व्ययों का भारण विद्युत कम्पनियों में व्ययों के मूल रूप में किया जायेगा तद्नुसार टैक्स इनवॉइस निर्गत करते समय व्ययों का एच0एस0एन0 कोड एवं व्ययों पर जी0एस0टी0 की दर वही होगी जो विक्रेता/सेवा प्रदाता द्वारा उसे टैक्स इनवॉइस में उपयोग किया गया हो एवं ऐसे व्यय जो अपंजीकृत अथवा कम्पोजिट डीलर से क्रय किये गये हो पर उस व्यय से सम्बन्धित एच0एस0एन0 कोड एवं जी0एस0टी0 की दर लागू होगी।

vii. ऐसे व्यय/बीजक जिनका भुगतन जी0एस0टी0 इनपुट लेने की निर्धारित तिथि के उपरान्त हुआ है एवं उस बीजक का इनपुट टैक्स क्रेडिट निर्धारित समय में नही लिया गया है, ऐसी परिस्थिति में उस बीजक/व्यय पर इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध नही होगा एवं ऐसे व्यय का भारण करते समय जी0एस0टी अतिरिक्त रूप से भारित किया जायेगा।

3. परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (सामग्री प्रबन्ध) के नियन्त्रणाधीन इकाईयों द्वारा सूचना परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय के माध्यम से तथा मुख्यालय स्थित इकाईयों द्वारा सूचना सीधे मुख्यालय स्थित जी0एस0टी0 सेल को प्रेषित की जाएगी। सूचना का प्रारूप उपरोक्त बिन्दु सं0–02 में अंकित Excel Utilities ही है, जिसमें इकाईयों द्वारा सूचना भरकर परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय को अगले माह की 3 तारीख तक प्रेषित किया जाएगा एवं परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा जाँच करने के उपरान्त संकलित कर मुख्यालय स्थित जी0एस0टी0 सेल को अगले माह की 5 तारीख तक प्रेषित किया जाएगा।

4. वर्ष 2019–20 से सम्बन्धित बीजको/व्ययों का इनपुट टैक्स क्रेडिट दिनांक 30.09.2020 तक लिया जा सकता है, अतः वर्ष 2019–20 से सम्बन्धित ऐसे व्यय जो निगम के GSTR-2A में प्रदर्शित नही हो रहे है, उसका संभावित कारण हो सकता है कि विक्रेता/सेवा प्रदाता द्वारा GST Return दाखिल नही करना अथवा सही रिटर्न दाखिल नही करना, ऐसी परिस्थिति में विक्रेता/सेवा प्रदाता से सम्पर्क स्थापित कर इस समस्या का निवारण किया जाये।
ऐसे विक्रेता/सेवा प्रदाता जिनमें पर्याप्त पत्राचार/सम्पर्क के उपरान्त भी बीजक निगम के GSTR-2A में प्रदर्शित नही हो रहा है, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करते हुए उनको काली सूची में डालकर उनसे जी0एस0टी0 की राशि की वसूली उनके भविष्य के भुगतान (यदि कोई हो) से समायोजित कर ली जाये।

5. प्रोद्भूत आधार (Accrual Basis) पर व्ययों के प्रावधान जिसके सापेक्ष विक्रेता/सेवा प्रदाता से टैक्स इनवॉइस प्राप्त नही हुआ है ऐसे व्ययों के भारण पर जी0एस0टी देय होगा एवं अगले वित्तीय वर्ष में विक्रेता/सेवा प्रदाता से टैक्स इनवॉइस प्राप्त होने के उपरान्त उस वित्तीय वर्ष में उक्त बीजक का आई0टी0सी0 लिया जा सकता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्यालय स्थित जी0एस0टी0 सेल द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा–निर्देश सं0 02/उ0प्र0पा0 (टैक्स)/जी0एस0टी0सेल/2017–18 दिनांक 25.07.2017 में अंकित इनपुट टैक्स क्रेडिट एवं टैक्स इनवॉईस/बिल ऑफ सप्लाई सम्बन्धित नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक : यथोपरोक्त

(ए0 के0 अवस्थी)
मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा)

दिशा–निर्देश सं0: /का0टैक्स एवं जी0एस0टी0/2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
2. निदेशक (वाणिज्य)/कारपोरेट प्लानिंग/वितरण/वित्त/का0प्र0 एवं प्रशा0 उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
3. निदेशक (वित्त), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को/लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/ कानपुर।
4. अधिशासी निदेशक (वित्त एवं लेखा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
5. उप महाप्रबन्धक (सामग्री प्रबन्ध), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, महानगर लखनऊ को इस अनुरोध के साथ के अपने अधीनस्थ इकाईयों को तदनुसार सूचित करने की कृपा करें।
6. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन/कारपोरेट लेखा) उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
7. उप निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ।
8. अनुसचिव (स0 प्र0 लेखा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान)/केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ/पी0एम0यू0/वेतन एवं लेखा, उ0प्र0 पा0 का0 लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, रूम नं0 409, चतुर्थ तल शक्ति भवन को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संलग्नक : यथोपरोक्त

(ए0 के0 अवस्थी)
मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा)

Shakti Bhawan,
14-Ashok Marg, Lucknow 226001

शक्ति भवन,
14–अशोक मार्ग, लखनऊ 226001

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking

CIN No. U32201UP1999SGC024928

पत्रांक :– 743–कार्य/चौदह–पाकालि/2020–24–के/2020/लेखा स्कन्ध दिनांक:– 10 जून, 2020

कार्यालय–ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 (पा0का0लि0) की मुख्यालय स्थित तथा परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (सामग्री प्रबन्ध), पा0का0लि0 के नियन्त्रणाधीन विभिन्न इकाईयां एवं कार्यालयों यथा निधि प्रबन्ध, वाणिज्य स्कन्ध, नियोजन स्कन्ध, रेग्युलेटरी अफेयर यूनिट, रेस्पो, ई0एस0पी0सी0, पी0पी0ए0, कम्प्यूटराईजेशन इकाई, अपर पुलिस महानिदेशक (सतर्कता)/पुलिस अधीक्षक (सतर्कता–विद्युत कोष्ठ) के कार्यालय, विद्युत सेवा आयोग, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान तथा मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) द्वारा पा0का0लि0 की सहायक विद्युत वितरण कम्पनियों यथा पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम एवं केस्को हेतु विद्युत उत्पादकों से बल्क ऊर्जा क्रय कर विद्युत वितरण निगमों को बल्क विद्युत आपूर्ति करना, विद्युत क्रय दायित्वों का भुगतान, विद्युत निगमों की ओर से विद्युत नियामक आयोग में ए0आर0आर0 दाखिल किया जाना, नीति निर्धारण, वित्तीय संस्थानों से वित्त पोषण हेतु समन्वय, शासन से समन्वय, कार्मिकों की नियुक्ति व उनको प्रशिक्षण दिया जाना तथा कामन कैडर के कार्मिकों का अधिष्ठान एवं सेवानैवृतिक दायित्वों के निस्तारण सम्बन्धी कार्य व अन्य आनुषंगिक कार्य किये जा रहे है। उपरोक्त कार्यों के सम्पादन में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की लेखीय इकाईयों के लेखों में कर्मचारी लागत, प्रशासनिक, सामान्य व अन्य व्यय, ब्याज व अन्य वित्तीय लागत, मरम्मत व अनुरक्षण व्यय, सम्पत्तियों पर ह्रास, देनदारों, चालू सम्पत्तियों व विनियोगों पर उनके मूल्य में कमी/संदिग्ध देनदारों के लिये कुछ प्रावधान किये जाते है, साथ ही फिक्स डिपॉजिट/विनियोग पर आय व आय के अन्य मदों में कुछ धनराशि विविध आय (Other Income) शीर्षक के अन्तर्गत प्रदर्शित होती है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में रेगुलेटरी अफेयर यूनिट (आर0ए0यू0) द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों के लिये किये जा रहे कार्य सम्पादन के दृष्टिगत पा0का0लि0 के ओ0एण्डएम0 व्ययों को वितरण निगमों पर भारित किए जाने का अभिमत दिया है। अतः इस सम्बन्ध में उपरोक्त अभिमतानुसार पा0का0लि0 के ओ0एण्डएम0 व्ययों में से भारण योग्य व्ययों को सुसंगत आधार पर विद्युत वितरण कम्पनियों पर भारित किया जाना आवश्यक है ताकि इन व्ययों के वित्त पोषण हेतु सरल व सुदृढ़ व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा सके।

उपरोक्तानुसार व्ययों के भारण हेतु, निदेशक मण्डल से कार्योत्तर अनुमोदन की प्रत्याशा में, पा0का0लि0 की लेखीय इकाईयों (अनुलग्नक 'अ') के लेखों के अन्तर्गत व्ययों के मद में प्रदर्शित अवशेषों यथा कर्मचारी लागत तथा प्रशासनिक, सामान्य व अन्य व्यय, मरम्मत व अनुरक्षण व्यय आदि को सहायक विद्युत वितरण कम्पनियों पर विगत वित्तीय वर्ष में कुल बिक्रीत ऊर्जा की मात्रा (एम0यू0) के अनुपात में, निम्नांकित बिन्दु–1 के अन्तर्गत विशिष्ट कार्य सम्पादन कर रही इकाईयों/खण्ड/ संस्थान/कार्यालय आदि हेतु उ0प्र0 ऊर्जा क्षेत्र की अन्य सम्बन्धित कम्पनियों व वितरण कम्पनियों को व्यय भारण की निर्दिष्ट व्यवस्था के प्रतिबन्धाधीन, भारित कर अन्तरित किया जाये। अग्रेतर पा0का0लि0 के लेखो में प्रदर्शित स्थायी सम्पत्तियों के सापेक्ष आगणित ह्रास व इन सम्पत्तियों पर किये गये पा0का0लि0 से सम्बन्धित मरम्मत व अनुरक्षण व्यय, पा0का0लि0 द्वारा दिये गए बैंक चार्जेज तथा लेखो में प्रदर्शित 'विनियोग', 'विविध देनदार' व 'अन्य सम्पत्तियों' पर क्रमशः इनके मूल्यों में कमी/संदिग्ध देनदार/संदिग्ध प्राप्यों हेतु किये गये प्रावधान की धनराशि का अन्तरण नहीं किया जायेगा। इसी क्रम में लेखो में प्रदर्शित पा0का0लि0 से सम्बन्धित विविध आय को भी डिस्कॉमस् को अन्तरित नहीं किया जायेगा।

1.(क) कारपोरेशन की शक्ति भवन स्थित विद्युत जानपद इकाई (लो0को0 641), विद्युत अनुरक्षण इकाई (लो0को0 646) तथा विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई (पेन्शन सेल) (लो0को0 647) जो कि शक्ति भवन, शक्ति भवन विस्तार व शक्ति भवन परिसर पर वातानुकूलन, सुरक्षा व्यवस्था, अग्नि शमन संयन्त्रों की व्यवस्था, लिफ्ट संचालन, मरम्मत व अनुरक्षण जैसी अन्य केन्द्रीकृत प्रसुविधायें पर व्यय करती है जिसका उपयोग शक्ति भवन स्थित उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 के कार्यालयों द्वारा किया जाता है अतः केन्द्रीय प्रसुविधाओं पर हुए व्ययों को उक्त कम्पनियों के कार्यालयों द्वारा मुख्यालय भवनो पर अध्यासित क्षेत्र (Occupied area) के अनुपात में विभक्त किया जाये तथा

पा0का0लि0 के अंश को छोड़कर व्ययों की शेष धनराशि को सम्बन्धित कम्पनियों पर भारित कर अन्तरित किया जाये।

(ख) विद्युत जानपद निर्माण खण्ड, लखनऊ (लो0को0 645) के द्वारा लखनऊ जनपद में स्थित पावर कारपोरेशन की आवासीय कालोनियों/स्कूल के वार्षिक अनुरक्षण एवं नलकूप संचालन के कार्यों हेतु आने वाले वित्तीय भार का वहन अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप 530–कार्य/चौदह–पाकालि/ 2020–13–के/2020 दिनांक 16 मार्च, 2020 में निहित निर्देशों के अनुसार उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 एवं उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 द्वारा किया जाएगा।

(ग) कार्यालय अपर पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), (लोकेशन कोड 983) के नियन्त्रणाधीन मुख्यालय लखनऊ पर तैनात अधिकारियों व अधिकारिकों तथा विद्युत वितरण कम्पनियों में सृजित/क्रियाशील विद्युत चोरी निरोधक थाने एवं प्रवर्तन दल पर तैनात अधिकारियों एवं अधिकारिकों से सम्बन्धित कर्मचारी लागत, प्रशासनिक, सामान्य व अन्य व्यय लेखों में प्रदर्शित होते है, अतः मुख्यालय लखनऊ पर तैनात अधिकारियों व अधिकारिकों से सम्बन्धित कर्मचारी लागत, प्रशासनिक, सामान्य व अन्य व्ययों को छोड़कर, इन मदो में शेष धनराशि को विद्युत वितरण कम्पनियों पर उपरोक्तानुसार अधिकारियों एवं अधिकारिकों की तैनाती की संख्या के अनुपात में सम्बन्धित विद्युत वितरण कम्पनी पर भारित कर अन्तरित किया जाये।

(घ) कार्यालय पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान (विद्युत कोष्ठ) (लोकेशन कोड 972) के नियन्त्रणाधीन अधिकारियों/अधिकारिकों से सम्बन्धित कर्मचारी लागत तथा प्रशासनिक, सामान्य व अन्य व्ययों को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 तथा समस्त विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉमस व केस्को) के मध्य समान अनुपात (equal ratio) में विभक्त किया जाये तथा पा0का0लि0 के अंश को छोड़कर व्ययों की शेष धनराशि को सम्बन्धित कम्पनियों पर भारित कर अन्तरित किया जाये।

(ड.) अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप 216–प्रशि0–10/पाकालि/2020–36–प्रसे0/99 टीसी–2 दिनांक 09 जून, 2020 में निहित निर्देशों के अनुसार विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (लोकेशन कोड 982) में सुरक्षा व्यवस्था, कम्प्यूटर आपरेटर, विविध अनुरक्षण कार्यों हेतु ओ0एण्डएम0 एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मद में व्यय होने वाली राशि को उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम (प्रत्येक द्वारा 19 प्रतिशत) तथा केस्को द्वारा 5 प्रतिशत की दर से वहन किया जाएगा।

संस्थान द्वारा पा0का0लि0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 505/पी0सी0एल0/सी0ए0–ए0एस0/ट्रांसको दिनांक 14.11.2018 में निर्दिष्ट व्यवस्था के अनुसार ट्रांसको को संस्थान की कर्मचारी लागत का 25% व्यय का अन्तरण नहीं किया जाएगा।

अतः संस्थान के लेखों में प्रदर्शित कर्मचारी लागत में से 10% राशि को तदर्थ आधार पर पा0का0लि0 के लिए रोकते हुये, शेष राशि को उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम तथा केस्को पर उपरोक्तानुसार निर्दिष्ट अनुपात में भारित कर अन्तरित किया जाएगा।

विद्युत प्रशिक्षण संस्थान द्वारा यदि ऊर्जा क्षेत्र की अन्य कम्पनियों यथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/जल विद्युत निगम लि0 एवं बाह्य संस्थानों के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर व्यय किया जाता है तो उक्त व्ययों की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति संबंधित कम्पनियों/संस्थानों से प्राप्त करते समय संस्थान की मार्गदर्शक संस्था द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु जो धनराशि प्रति प्रशिक्षणार्थी निर्धारित की जाए उसमें संस्थान के सभी व्ययों जैसे कि कर्मचारी लागत, आनुषंगिक ओ0एण्डएम0 व्यय इत्यादि को समाहित किया जाये।

(च) कार्यालय मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) (लोकेशन कोड 971) द्वारा मुख्य अभियन्ता संवर्ग एवं अवर अभियन्ता संवर्ग (कॉमन कैडर) के कार्मिकों के सम्बन्ध में तैनाती, अधिष्ठान, सेवानिवृत्तिक लाभों हेतु कार्यवाही आदि कार्य सम्पादन की दशा के दृष्टिगत इस कार्यालय के लेखो में प्रदर्शित कर्मचारी लागत, प्रशासनिक, सामान्य व अन्य व्ययों आदि को समस्त विद्युत वितरण कम्पनियों, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 में तैनात कॉमन कैडर के कर्मचारियों की संख्या में विभक्त किया जाये तथा पा0का0लि0 के अंश को छोड़कर व्ययों की शेष धनराशि को सम्बन्धित कम्पनियों पर भारित कर अन्तरित किया जाये।

(छ) विद्युत सेवा आयोग (लोकेशन कोड 973) द्वारा समस्त वितरण निगमों, ट्रांसको, पा0का0लि0 के लिए कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया सम्पादित कराये जाने वाले कार्यो के दृष्टिगत आयोग के समस्त व्ययों को विद्युत वितरण

कम्पनियों, ट्रांसको, पा0का0लि0 में रिक्त पदो की संख्या के अनुपात मे विभक्त किया जाये तथा पा0का0लि0 के अंश को छोड़कर व्ययों की शेष धनराशि को सम्बन्धित कम्पनियों पर भारित कर अन्तरित किया जाये।

(ज) मुख्यालय भुगतान (लोकेशन कोड 992) द्वारा डिस्कामस् से सम्बन्धित योजनाओं के विज्ञापन व्ययों पर किये गये व्ययों को वर्तमान में व्यय से सम्बन्धित अनुभाग के नियन्त्रक अधिकारी अथवा अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट अनुपात में भारित किया जा रहा है। इसी प्रकार डिस्कामस के कार्मिकों की कैशलेस चिकित्सा सुविधा के भुगतान को सम्बन्धित डिस्कामस को भारित किया जा रहा है, अतः इस सम्बन्ध में अग्रेतर किये जाने वाले व्ययों को व्यय से सम्बन्धित अनुभाग के नियन्त्रक अधिकारी अथवा अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट अनुपात में ही विद्युत वितरण कम्पनियों को यथावत भारित किया जाये तथा जहाँ पर कोई व्यय स्पष्टतः किसी विद्युत वितरण कम्पनी से सम्बन्धित है तो उक्त को सम्बन्धित वितरण कम्पनी पर भारित किया जायेगा।

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 505/पी0सी0एल0/सी0ए0–ए0एस0/ट्रांसको दिनांक 14.11.2018 के द्वारा कर्मचारी लागत को पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 पर भारित किये जाने वाले निर्देश वित्तीय वर्ष 2019–2020 के लिए प्रभावी नहीं होंगे।

इकाई द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट से सम्बन्धित कर्मचारी लागत को समस्त विद्युत वितरण कम्पनियों, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन तथा उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन द्वारा अंशदान के अनुपात में विभक्त किया जाये तथा पा0का0लि0 के अंश को छोड़कर शेष धनराशि समस्त कम्पनियों को भारित करते हुये अन्तरित किया जाये।

(झ) केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ (लोकेशन कोड 396) द्वारा डिस्काम से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं पर किये गये व्ययों को वर्तमान में व्यय से सम्बन्धित अनुभाग के नियन्त्रक अधिकारी अथवा अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट अनुपात में भारित किया जा रहा है। अतः इस सम्बन्ध में अग्रेतर किये जाने वाले व्ययों को व्यय से सम्बन्धित अनुभाग के नियन्त्रक अधिकारी अथवा अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट अनुपात में ही विद्युत वितरण कम्पनियों को यथावत भारित किया जाए, साथ ही जहाँ पर कोई प्रशासनिक व सामान्य व्यय स्पष्टतः किसी वितरण कम्पनी से सम्बन्धित है तो उक्त को सम्बन्धित वितरण कम्पनी पर भारित किया जायेगा।

प्रकोष्ठ द्वारा यू0पी0 पावर सेक्टर इम्पलाईज ट्रस्ट की कर्मचारी लागत व प्रशासनिक व सामान्य व्ययों के भुगतान को समस्त वितरण कम्पनियों, पावर कारपोरेशन, उत्पादन निगम, जल विद्युत निगम तथा पावर ट्रासमिशन कारपोरेशन के द्वारा अंशदान के अनुपात में तथा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट से सम्बन्धित प्रशासनिक व सामान्य व्ययों को समस्त विद्युत वितरण कम्पनियों, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन तथा उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन द्वारा अंशदान के अनुपात में विभक्त किया जाये तथा पा0का0लि0 के अंश को छोड़कर शेष धनराशि समस्त कम्पनियों को भारित करते हुये अन्तरित किया जाये।

(ञ) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 मुख्यालय पर कार्यरत विभिन्न अनुभाग/कार्यालय में तैनात अधिकारियों/अधिकारिकों द्वारा सामान्यतः वितरण कम्पनियों के लिए नीति निर्धारण से लेकर विभिन्न पूंजीगत एवं राजस्व सम्बन्धी योजनाओं के सुचारू संचालन हेतु की जा रही कार्यवाही एवं पा0का0लि0 (पृथक शीर्ष कम्पनी के रूप में) के कार्यों के सम्पादन के दृष्टिगत कारपोरेशन की मुख्यालय भुगतान एवं केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ से सम्बद्ध इकाईयों की कर्मचारी लागत के 50 प्रतिशत भाग को तदर्थ आधार पर पा0का0लि0 के लेखों में रोकते हुए, शेष 50 प्रतिशत को उत्तर प्रदेश पावर ट्रासमिशन कारपोरेशन लि0, पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम (प्रत्येक को 9.5 प्रतिशत) तथा केस्को में 2.5 प्रतिशत की दर से भारित कर अन्तरित किया जाएगा।

(ट) 'प्रशासनिक, सामान्य एवं अन्य व्यय' के अन्तर्गत प्रदर्शित ऐसे मद जिन पर किया गया व्यय स्पष्टतः पा0का0लि0 से सम्बन्धित है यथा पा0का0लि0 के अंकेक्षको को देय अंकेक्षण शुल्क व उनका यात्रा व्यय, सम्पत्तियों का बीमा शुल्क, विद्युत व्यय, लेखन सामग्री व्यय, भवनों का किराया आदि 'को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की लेखा पुस्तकों मे ही दर्शाया जाए। अग्रेतर लीगल व्यय, कन्सल्टेन्सी, तकनीकी व प्रोफेशनल व्ययों के मद में प्रदर्शित राशि, जो कि पा0का0लि0 से सम्बन्धित है, को भी पा0का0लि0 की लेखा पुस्तकों में दर्शाया जाए।

(ठ) उपरोक्त के अतिरिक्त पूर्व में अन्तरित हो रहे व्ययों के सम्बन्ध में प्रचलित व्यवस्था यथावत् रहेगी।

2. वित्तीय वर्ष 2019–20 के लेखों में पूर्वावधि से सम्बन्धित व्ययों का लेखांकन किये जाने की दशा में उन व्ययों को भी उपरोक्तानुसार भारित व अन्तरित किया जाये।

3. उपरोक्त व्ययों का प्रोद्भूत आधार (Accrual basis) पर लेखांकन, जबतक की लेखीय नीति में पृथक रूप से उल्लेख न हो, सुनिश्चित करते हुये व्ययों के भारण व अन्तरण की कार्यवाही की जाये।

4. व्यय को भारित कर अन्तरित किये जाने के समय/सम्बन्ध में यदि किसी संशोधन की आवश्यकता उत्पन्न होती है तो तद्नुसार निर्णय लेते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश निदेशक (वित्त), उ0प्र0पा0का0लि0 द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

5. उपरोक्त बिन्दुओं में व्यय के भारण हेतु विद्युत वितरण कम्पनियों को बिक्रीत ऊर्जा की मात्रा (एम0यू0), कर्मचारियों की संख्या, कम्पनियों में रिक्त पदो की संख्या, ट्रस्ट को अंशदान तथा कम्पनियों द्वारा भवनो में अध्यासित क्षेत्र आदि आधारो हेतु चालू वर्ष के ठीक पूर्व वर्ष के आंकडे/सूचनायें प्रयोग में ली जायगी, उदाहरणार्थ वित्तीय वर्ष 2019–20 के व्ययों के भारण हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 के आंकडे/सूचनायें आगणन का आधार होंगी।

6. उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराये जाने हेतु लेखा स्कन्ध द्वारा आवश्यक लेखांकन प्रक्रिया निर्गत की जायगी।

7. उपरोक्त व्ययों के भारण एवं अन्तरण पर नियमानुसार लागू/देय जी0एस0टी0 को सम्बन्धित अन्तरिती कम्पनी/कारपोरेशन द्वारा वहन किया जाएगा तथा नियमानुसार स्रोत पर आयकर कटौती की जायगी, इसके अतिरिक्त यदि किसी प्रकरण में विधिक करो से सम्बन्धित देयता बनती है तो उसे भी अन्तरिती कम्पनी/कारपोरेशन द्वारा वहन किया जाएगा। जी0एस0टी0, आयकर आदि के सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार प्रक्रिया कारपोरेट टैक्स, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा जारी की जायेगी तथा प्रक्रिया के अनुपालन में आने वाले किसी भी कठिनाई के समाधान हेतु प्रकरण कारपोरेट टैक्स को सन्दर्भित किये जायेंगे।

उपरोक्त व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2019–2020 से प्रभावी होगी।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक:– 743–कार्य/चौदह–पाकालि/2020–24–के/2020/लेखा स्कन्ध तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. अध्यक्ष के निजी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर।
4. निदेशक(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग)/(वितरण)/(वित्त)/(का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक(वित्त), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा।
6. अधिशासी निदेशक (वित्त एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा/पी0पी0ए0/कम्प्यूटराइजेशन इकाई/जल विद्युत/आर0ए0यू0/ पी0एम0यू0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. महानिदेशक (प्रशि0 एवं मा0सं0वि0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ।
11. पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्यालय पुलिस महानिदेशक(सतर्कता), शक्ति भवन विस्तार, (12वां तल) लखनऊ।
12. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान(विद्युत कोष्ठ) डालीबाग, लखनऊ।
14. उप महाप्रबन्धक (निधि प्रबन्ध/लेखा/सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. उप महाप्रबन्धक (लेखा), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (सामग्री प्रबन्ध), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
16. उप महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), केस्को, कानपुर।
17. सचिव(ट्रस्ट), उ0प्र0 स्टेट पावर सेक्टर इम्पालइज ट्रस्ट, शक्ति भवन, लखनऊ।
18. अधीक्षण अभियन्ता, आयात–निर्यात एवं भुगतान मण्डल, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
19. अधिशासी अभियन्ता, स्टेट डेजिगनेटिड एजेन्सी, शक्ति भवन, लखनऊ।
20. समस्त आहरण वितरण अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
21. लेखाधिकारी/सहा0लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान/केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ/पी0एम0यू0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

आर. के. गुप्ता

(आर0के0 गुप्ता)

संयुक्त सचिव (कार्य)

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

लो0को0	इकाई का नाम
300	परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (सा0प्र0) से सम्बद्ध इकाईयां
325	विद्युत भण्डार क्रय मण्डल–तृतीय (ए0पी0डी0आर0पी0), लखनऊ
327	विद्युत भण्डार क्रय मण्डल–प्रथम, महानगर, लखनऊ
335	परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (सामग्री प्रबन्ध), लखनऊ
330	परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (सा0प्र0) से सम्बद्ध विद्युत बल्क क्रय–विक्रय से सम्बन्धित इकाई
240	विद्युत आयात, निर्यात एवं भुगतान मण्डल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ
640	परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (सा0प्र0) से सम्बद्ध विविध जानपदीय इकाईयां
641	विद्युत जानपद इकाई, शक्ति भवन, लखनऊ
645	विद्युत जानपद निर्माण खण्ड (प्रथम), पा0का0लि0, अलीगंज, लखनऊ
646	अनुरक्षण इकाई, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ
647	विद्युत एवं यांत्रिक इकाई (पेंशन सेल), शक्ति भवन, लखनऊ
970	परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (सा0प्र0) से सम्बद्ध विविध इकाईयां
971	मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), शक्ति भवन, लखनऊ
972	कार्यालय पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) (विद्युत कोष्ठ), डालीबाग, लखनऊ
973	विद्युत सेवा आयोग, गोमती नगर, लखनऊ
974	स्टेट डेजिगनेटेड एजेन्सी, शक्ति भवन, लखनऊ
982	विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ
983	कार्यालय अपर पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), शक्ति भवन, लखनऊ
	मुख्यालय इकाईयां
991	केन्द्रीय भुगतान (वित्त प्रबन्ध), शक्ति भवन, लखनऊ
992	मुख्यालय भुगतान इकाई, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ
994	पुर्नभुगतान एवं ब्याज भुगतान, शक्ति भवन, लखनऊ
998	प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ
396	केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ

LIST OF EXPENDITURE LIABLE TO GST

Employee benefits expense		FINANCE COSTS		DEPRECIATION AND AMORTIZATION EXPENSE ON		ADMINISTRATIVE,GENERAL & OTHER EXPENSES		REPAIRS AND MAINTENANCE OF	
Particulars	**Whether Taxable or Not**	**Particulars**	**Whether Taxable or Not**	**Particulars**	**Whether Taxable or Not**	**Particulars**	**Whether Taxable or Not**	**Particulars**	**Whether Taxable or Not**
Salaries & Allowances	Non Taxable	Bank Charges	Taxable	Buildings	Non Taxable	Rent	Taxable	Plant & Machinery	Taxable
Dearness Allowance	Non Taxable	Interest to CPF Trust	Non Taxable	Other Civil Works	Non Taxable	Insurance	Taxable	Buildings	Taxable
Other Allowances	Non Taxable			Plant & Machinery	Non Taxable	Communication Charges	Taxable	Other Civil Works	Taxable
Bonus/ Ex-gratia	Non Taxable			Vehicles	Non Taxable	Legal Charges	Taxable	O&M Works/ Administrative Exp	Taxable
Medical Expenses (Re-imbursement)	Non Taxable			Furniture & Fixtures	Non Taxable	Auditors Remuneration & Expenses	Taxable	Furniture & Fixtures	Taxable
Leave Travel Assistance	Non Taxable			Office Equipments	Non Taxable	Audit Fee	Taxable	Office Equipments	Taxable
Earned Leave Encashment	Non Taxable			Intangible Assests	Non Taxable	Travelling Expenses	Taxable		
Compensation	Non Taxable					Consultancy Charges	Taxable		
Staff Welfare Expenses	Non Taxable					Technical Fees & Professional Charges	Taxable		
Pension & Gratuity	Non Taxable					Travelling and Conveyance	Taxable		
Other Terminal Benefits	Non Taxable					Printing and Stationery	Taxable		
Expenditure on Trust	Taxable					Advertisement Expenses	Taxable		
						Electricity Charges	Non-Taxable		
						Water Charges	Taxable		
						Entertainment	Taxable		
						Expenditure on Trust	Taxable		
						Miscellaneous Expenses	Taxable		

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928 | GSTN: 09AAACU5088M4ZM

कारपोरेट टैक्स एवं जी0एस0टी0 सेल Corporate Tax & GST Cell

कक्ष संख्या–320,तृतीय तल, शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001, ई–मेल - dgmtaxuppcl@gmail.com
Room No.– 320 IIIrd Floor, Shakti Bhawan, 14-Ashok Marg, Lucknow-226001, RAX – 8320,

पत्रांक 20(A)/का0टैक्स एवं जी0एस0टी0/2020 दिनांक 13 / 08 /2020

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी
उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

कृपया जी0एस0टी0 दिशा–निर्देश सं0 20/का0टैक्स एवं जी0एस0टी0/2020 दिनांक 03.07.2020 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के व्ययों को सहायक विद्युत वितरण कम्पनियों एवं अन्य कम्पनियों पर भारित एवं अन्तरण किये जाने पर जी0एस0टी0 की प्रयोज्यता एवं प्रक्रिया के संबंध में निर्देशित किया गया था।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अग्रेतर अवगत कराना है कि जी0एस0टी0 नियमों के अनुसार जी0एस0टी0 का विलम्ब से भुगतान करने पर 18 प्रतिशत की दर ब्याज देय होता है, किन्तु ऐसे प्रकरण जिनमें देय जी0एस0टी0 का समायोजन इनपुट टैक्स क्रेडिट से किया जायेगा, ऐसे प्रकरणों में ब्याज की देयता इनपुट टैक्स क्रेडिट से समायोजित देय जी0एस0टी0 पर नही आयेगी, बशर्ते जिस माह के रिटर्न में टैक्स इनवॉइस जारी की गयी है उस माह के रिटर्न दाखिल करते वक्त इनपुट क्रेडिट लेजर में इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रदर्शित हो रहा हो।

उदाहरण के तौर पर–

सेवाप्रदाता की इनवॉइस की दिनांक जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना था	रू0 10000	01.03.2020
उपरोक्त इनवॉइस के आधार पर डिस्कॉम इत्यादि को टैक्स इनवॉइस निर्गत करने की दिनांक	रू0 10000	31.03.2020
उपरोक्त दोनो सूचनाओं को माह जुलाई 2020 के GSTR में दर्शाया गया रिटर्न फाइलिंग दिनांक		20.08.2020

उपरोक्त उदाहरण में भले ही रू0 10000/– की जी0एस0टी0 की देयता रू0 10000/– के इनपुट टैक्स क्रेडिट से समायोजित की जा रही है किन्तु उपरोक्त सूचना माह मार्च 2020 के रिटर्न में प्रदर्शित की जानी थी जो की नही की गयी एवं इकाई ने इनवॉइस 31.03.2020 की तारीख में निर्गत कर जुलाई 2020 के रिटर्न में दर्शाया है।

जी0एस0टी0 नियमों में जी0एस0टी0 की देयता इनवॉइस दिनांक एवं भुगतान दिनांक जो भी पहले हो पर आती है। उपरोक्त उदाहरण में चूंकि इनवॉइस दिनांक 31.03.2020 को निर्गत की गयी है, अतः इस इनवॉइस की जी0एस0टी0 देयता को मार्च, 2020 माह तक क्लेम किये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट से बिना ब्याज दिये समायोजित किया जा सकता है। किन्तु उपरोक्त उदाहरण में इनपुट टैक्स क्रेडिट जुलाई 2020 के रिटर्न में दर्शाया गया है, अतः मार्च, 2020 में जी0एस0टी0 देयता के सापेक्ष इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध नही था, अतः इस प्रकरण में जी0एस0टी0 राशि पर वर्तमान में 18 प्रतिशत की दर से 4 महीने की ब्याज की देयता आयेगी।

उपरोक्त के दृष्टिगत इकाइयों को निर्देशित किया जाता है विक्रेता/सेवाप्रदाता के जिन बीजकों की इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया जाना है उनकी सूचना जल्द से जल्द जी0एस0टी0 रिटर्न में दर्शाये जिससे ब्याज की देयता से बचा जा सके।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(ए0 के0 अवस्थी)
मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा)

दिशा–निर्देश सं0: 20(A)/का0टैक्स एवं जी0एस0टी0/2020 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
2. निदेशक (वाणिज्य)/कारपोरेट प्लानिंग/वितरण/वित्त/का0प्र0 एवं प्रशा0 उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
3. निदेशक (वित्त), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को/लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/ कानपुर।
4. अधिशासी निदेशक (वित्त एवं लेखा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
5. उप महाप्रबन्धक (सामग्री प्रबन्ध), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, महानगर लखनऊ को इस अनुरोध के साथ के अपने अधीनस्थ इकाईयों को तदनुसार सूचित करने की कृपा करें।
6. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन/कारपोरेट लेखा) उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
7. उप निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ।
8. अनुसचिव (स0 प्र0 लेखा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान)/केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ/पी0एम0यू0/वेतन एवं लेखा, उ0प्र0 पा0 का0 लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, रूम नं0 409, चतुर्थ तल शक्ति भवन को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(ए0 के0 अवस्थी)
मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा)